

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 23510301222010

दांडिक प्रकरण क.-591 / 10

संस्थापित दिनांक-23.10.10

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	अभियोजन
विरुद्ध	
01-गेंदालाल पत्र शिबू रैकवार आयु 22 वर्ष 02-शिबू पुत्र दयाल रैकवार आयु 55 वर्ष 03-सुशीला पत्नी शिबू रैवार आयु 50 वर्ष निवासी गण प्राणपुर, चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0	आरोपीगण
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री पठान अधिवक्ता।	

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 01.11.2017 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 498ए, 323/34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 323/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 498ए के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी राधा रैकवार ने दिनांक 22.12.10 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 21.12.10 को रात्रि 10:00 बजे आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की और दहेज की मांग की। फरियादी के अनुसार आरोपीगण विवाह के बाद से उसे प्रताड़ित करने लगे थे और पचास हजार रुपये दहेज की मांग करते थे। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 450/10 के अंतर्गत भादवि की धारा 498ए, 323/34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 498ए, 323/34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 21.12.10 समय रात 10:00 बजे ग्राम प्राणपुर में फरियादिया राधा के तुम, पति, सास होते हुए, फरियादी से दहेज की मांग को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 सावित्री, अ.सा.2 महेन्द्र एवं अ.सा. 03 राधा की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 सावित्री ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी गेदालाल उसका दामाद है तथा फरियादिया राधावाई उसकी पुत्री है। अ.सा.1 के अनुसार उसका गेदालाल के साथ 11 वर्ष पूर्व प्राणपुर में विवाह हुआ था किंतु विवाह के 3-4 वर्ष पश्चात उसका घरेलू विवाद हो गया था जिस पर से वह मायके आ गई थी। इसी प्रकार अ.सा.2 ने भी अपने कथन में उक्त बातें बताई हैं अ.सा.1 एवं अ.सा.2 दोनों ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण दहेज की मांग करते थे। दोनों साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण पचास हजार रुपये की मांग करते थे दोनों साक्षीगण ने पुलिस कथन देने से भी इंकार किया है।

09— मामले की फरियादी अ.सा.3 राधा ने अपने कथन में बताया है कि उसके पति से उसका घरेलू विवाद हो गया था जिस पर से वह अपने मायके आ गई थी। उक्त साक्षी ने पुलिस रिपोर्ट प्र0पी03 में दहेज के संबंध में अभिवचन लिखाने से इंकार किया है और साथ ही इस बात से भी इंकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्र0पी05 में दहेज मांगे जाने वाली बात लिखाई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने दहेज में पचास हजार रुपये एवं जेवर की मांग की थी तथा इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण उसके साथ मानसिकरूप से प्रताड़ना कारित करते थे।

10— अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है मामले की फरियादी एवं अन्य किसी साक्षी ने अपने कथन में यह कहीं नहीं बताया है

कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी से दहेज की मांग कर कूरता कारित की गई।

11— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 498ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

13— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

14— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)